[भाग-2, अनुच्छेद

<u>नागरिक</u>: वह व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जिसे राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है, नागरिक कहलाता है।

<u>विदेशी</u>: वे व्यक्ति जो किसी राज्य में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से निवास करते हैं, लेकिन वे उस राज्य के नागरिक नहीं होते हैं विदेशी कहलाते हैं।

गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार:

अनुच्छेद	प्राप्त मौलिक अधिकार
अनु० - 14	विधि के समक्ष समानता
अनु० - 20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनु० - 21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
अनु० - 23	मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
अनु० - 24	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
अनु० - 25	धर्म को स्वतंत्ररूप से मानने, एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनु० - 26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनु० - 28	कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता।

② ✡ अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को ही प्राप्त है।

Important Facts:-

✡ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात् सभी देश के नागरिक होंगे, राज्य या प्रांत के नहीं, और केवल एक देश के नागरिक होंगे अन्य देश के नहीं, अर्थात् किसी भी स्थिति में दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है।

✡ कंपनी, निगम आदि नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिये गए हैं।

✡ भारतीय नागरिकता स्थान आधारित नहीं बल्कि वंश आधारित है।

✡ संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएँ दी गई हैं तथा अनुच्छेद 9, 10, 11 में भी इस संबंध में विशेष प्रावधान किये गए हैं।

अनुच्छेद 5:- अधिवास द्वारा नागरिकता:- कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो निम्नलिखित तीन आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो-

① अनु० 5(क):- वह भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो।

अनु० 5(ख) :- उसके माता-पिता में से कोई एक भारत के राज्यक्षेत्र में जन्म लिया हो:-

(iii) अनु० 5(ग) :- वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो।

अनुच्छेद 6 :- पाकिस्तान से प्रव्रजन (Migration) करके आए व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान :-

पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब वह दो आवश्यक शर्तें पूरा करता है :-

शर्त (i) :- उसका या उसके माता-पिता अथवा उसके दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हो।

शर्त (ii) :- यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो; अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो; और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए कम से कम छह माह तक भारत में निवास आवश्यक है।

(4) **अनुच्छेद 7: पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता**

यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए हों तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। केवल उसे पंजीकरण प्रार्थना-पत्र के बाद छह माह तक भारत में रहना अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता:

इस अनुच्छेद के अनुसार, जो व्यक्ति संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे किंतु वे भारतीय मूल के निवासी है जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में किसी का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है।

नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान:

अनुच्छेद 9: अनुच्छेद 9 के अनुसार, किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद 10: प्रत्येक वह व्यक्ति जो नागरिकता के अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है।

अनुच्छेद 11: नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के पाँच तरीके हैं।

- ☆ जन्म से नागरिकता
- ☆ वंश के आधार पर नागरिकता
- ☆ पंजीकरण द्वारा नागरिकता
- ☆ देशीयकरण द्वारा नागरिकता इसका अर्थ लंबे समय तक भारत में निवास के आधार पर नागरिक बन जाने से है।
- ☆ किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह निर्धारित करेगी कि उस भू-भाग के कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे।

⑥ **नागरिकता समाप्ति की तीन स्थितियाँ हैं :-**

- ✡ नागरिकता का परित्याग करने पर,
- ✡ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर
- ✡ भारतीय संविधान के अनादर, अनिष्ठा आदि के आधार पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना चाहिए।

अनिवासी भारतीय (NRI) :- भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। किंतु से नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती हैं। ये कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो नागरिक कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार का पूरा अधिकार है किंतु चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। भारत में NRI कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय बैंक में खाता खोल सकते हैं।

भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) :- एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता / राष्ट्रीयता धारण करता है और जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है।

इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इन्हें भी (4)
IRI कोटे में शिक्षा पाने का अधिकार है तथा भारतीय बैंक में
खाता खोलने का अधिकार है।

संयुक्तपारीय भारतीय नागरिक/विदेशी भारतीय नागरिक (OCI)

ये विदेशी नागरिक होते है तथा साधारणतः इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवनपर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। एक यात्रा की अवधि चाहे जितनी लंबी हो इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो तथा कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो। इन्हें HRI कोटे में शिक्षा का अधिकार है। भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता भी खोल सकते है। 6 जनवरी 2015 के नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के द्वारा PIO तथा OCI कार्डधारकों की चिन्ता समाप्त कर दी गई है। अब दोनों समान अधिकार वाले है।